भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 32

02.02.2023 को उत्तर के लिए

तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के उल्लंघन के मामले

32. श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में देश में तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के उल्लंघन के कितने मामलों की सूचना मिली है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे मामलों में दोषसिद्धि दर कितनी है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सीएजी द्वारा नोट किए गए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्टों में परियोजनाओं के अपर्याप्तता के साथ मंजूरी देने के मामले सामने आए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख): तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, गत पांच वर्षों के दौरान तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचनाओं के उल्लंघन के लगभग 1878 मामलों की सूचना प्राप्त हुई और तदनुसार कार्रवाई की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के अनुसार, उल्लंघन के मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) और (घ): भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की तटीय पारितंत्रों के संरक्षण से संबंधित रिपोर्ट, 2022 की रिपोर्ट संख्या 4 (कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा) में, अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ परियोजनाओं की पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपार्टों में कुछ अपर्याप्तताओं का उल्लेख किया गया है। वर्ष 2015-20 की अवधि के लिए तटीय पारि-तंत्र के संरक्षण के संबंध में कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को समाविष्ट करने वाली सीएजी की रिपोर्ट अगस्त, 2022 में संसद के पटल पर रखी गई है।

सीएजी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों का उत्तर सीएजी को विधिवत दे दिया गया है और उसे दिनांक 5 दिसंबर, 2022 को संसद की लोक लेखा समिति के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है।

*****

अनुबंध-I

'तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के उल्लंघन के मामलों' के संबंध में श्री एस. निरंजन रेड्डी द्वारा दिनांक 02.02.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 32 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	**तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**उल्लंघन के मामलों की संख्या**
1.	गोवा	974
2.	गुजरात	39
3.	कर्नाटक	101
4.	केरल	45
5.	महाराष्ट्र	556
6.	ओडिशा	43
7.	आंध्र प्रदेश	शून्य
8.	तमिलनाडु	84
9.	पश्चिम बंगाल	28
10.	पुदुचेरी	07
11.	दमन और दीव	01
12.	लक्षद्वीप	शून्य
13.	अंडमान और निकोबार	शून्य
	कुल	**1878**

*****